(134)

(418)

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रं. म/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा/2017/3447

आवेदक : करन सिंह कौरव आत्मज श्री लीलाधर कौरव उम्र लगभग 58 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मौरझिर तेहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

विरूद्ध

अनावेदकगण : 1– जी भाई कौरव आत्मज गंगाराम कौरव निवासी– ग्राम भौरझिर तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2– मध्य प्रदेश शासन द्वारा–तेहसीलदार गाडरवारा जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)

एम० एम० मुदगल
04 SEP 2017

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक राजस्व निरीक्षक बोहानी, तेहसील गाडरवारा के द्वारा प्र.क्रं. 6–अ–12/2017 में की गई सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 06–06–2017 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

तथ्य

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1– यह कि अनावेदक की भूमि से आवेदक की भूमि खसरा नंबर 429 एवं 442 लगी हुई हैं । अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि खसरा नं. 425 रकवा 2.911 हे. खसरा नं. 428 रकवा 0.409 हे, एवं खसरा नं. 443/1/6 रकवा 0.405 जो उसके स्वामित्व की भूमि है को सीमांकन करने हेतु तहसीलदार बोहानी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर को आवेदन प्रस्तुत किया था जो राजस्व निरीक्षक बोहानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया । राजस्व निरीक्षक बोहानी ने उक्त खसरा नंबरान पर सीमांकन किये जाने का उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन तह. वृत्त बोहानी की ओर प्रेषित किये जाने का उल्लेख है। प्रकरण में तह. बोहानी द्वारा कोई कार्यवाही अथवा आदेश पत्रिका नहीं लिखी गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं सीमांकन कार्यवाही एवं प्रतिवेदन की पुष्टि करते हुए प्र.क्रं. 6–अ–12/2017 को समाप्त कर दिया गया तथा

करनसिंह

I/विमारानी/नरसिंहपुर/जूरा/2017/3447

25/7/18
जबलपुर

आवेदक एवं उनकी ओर से अधि० श्री एम०एम० मुदगल उपस्थित होकर उनके द्वारा प्रकरण न चलाने हेतु एक आवेदन पेश किया है। उनके अनुरोध पर प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य